



# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002  
दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: 1768 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईओ-4

दिनांक: 07.10.2021

### कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पत्रांक UERC/5/Tech/Pet.No. 10/2019/71 दिनांक 12.04.2019 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 14.07.2021 को प्रबन्ध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में उपाकालि एवं पिटकुल के पूर्णकालिक निदेशकों की बैठक में बनी सहमति के क्रम में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के अधीन निम्नांकित 66 के०वी० उपसंस्थान एवं लाईनों को पिटकुल द्वारा अधिग्रहण किये जाने के उपरान्त उक्त नव अधिग्रहित 66 के०वी० उपकेन्द्रों के सुचारु रूप से संचालन हेतु निम्नवत् व्यवस्था लागू की जाती हैं :-

1. निम्नांकित 66 के०वी० परि० एवं अनु० उपकेन्द्र, अग्रिम आदेशों तक, 400 के०वी० परि० एवं अनु० खण्ड, श्रीनगर के नियंत्रणाधीन संचालित किये जायेंगे :-

| क्र०सं० | उपकेन्द्र का नाम                | जनपद  |
|---------|---------------------------------|-------|
| 1       | 66 के०वी० उपकेन्द्र, कर्णप्रयाग | चमोली |
| 2       | 66 के०वी० उपकेन्द्र, कोठियालसैण |       |
| 3       | 66 के०वी०, उपकेन्द्र, जोशीमठ    |       |

2. निम्नांकित कार्मिकों को उनके वर्तमान कार्यदायित्वों के साथ-साथ उपरोक्त तालिका में अंकित 66 के०वी० उपकेन्द्रों के कार्यदायित्वों को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निवर्हन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

1. श्री अनिल सिंह गुसाई, सहायक अभियन्ता, 132 के०वी० परि० एवं अनु० उपकेन्द्र, सिमली।
- II. श्री बिरेश कुमार, अवर अभियन्ता, 132 के०वी० परि० एवं अनु० उपकेन्द्र, सिमली।

3. उपरोक्त उपकेन्द्रों पर परिचालन/अनुरक्षण के कार्यों को 06 माह तक निविदा के माध्यम से फर्म/कार्यदायी संस्था के द्वारा कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।  
उपरोक्त क्रम सं० 2 (I) (II) पर अतिरिक्त कार्यभार हेतु नामित कार्मिकों को प्रदत्त किये गये अतिरिक्त कार्यभार हेतु कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक अनुमन्य नहीं होगा।  
उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1768 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईओ-4, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सहायक/डी०ई०ओ०-निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(मा०सं०)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल.....।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पंकज कुमार)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान) (अति०कार्य०)